

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बून्दी (राजस्थान)

प्रकरण संख्या : 5/प्रा. पत्र/2000

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार तालेड़ा, जिला बून्दी

— प्रार्थी

बनाम

1. दरबारा सिंह पुत्र सद्धा सिंह
2. जगदेव सिंह पुत्र सद्धा सिंह जाति जट सिक्ख निवासीयान कोटा।
3. बिहारीलाल मीना पुत्र किशनस्वरूप जाति मीना निवासी ग्राम हुसैन माताजी, तहसील अटरू, जिला बारां।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राज. टीनेंसी एक्ट, 1955

उपस्थित :- प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार

अप्रार्थी सं.3 की ओर से एडवोकेट मुकेश शर्मा

निर्णय

दिनांक : 12.09.2018

आज यह कार्यवाही वास्ते आदेश पेश हुई।

यह प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा से प्रतिपेक्षित होकर इस निर्देश के साथ प्राप्त हुआ है कि अधीनस्थ न्यायालय इस प्रकरण पर माननीय राजस्व मण्डल के आर.आर. डी. 1993 पेज 706 पर दिये गये निर्णय के आलोच्य में इस प्रकरण को देखे कि क्या कभी एस.सी./एस.टी. जाति से सवर्ण को कब्जा ट्रांसफर हुआ है एवं क्या मौका कमीशनर की

जो कोई रिपोर्ट है। साथ ही धारा 42 एवं धारा 175 की मूल भावना अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों की भूमि उन्हीं के पास रहे की भावना के अनुरूप देखें एवं सभी पक्षों को पार्टी बनाकर सुना जावे। अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार बून्दी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी में प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम बल्लोप की आराजी खसरा संख्या 264 (नये 260) रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा की आराजी को बाला वल्द धूला मीणा की खातेदारी में थी जो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है तथा इसने उक्त भूमि को दरबारा सिंह को दिनांक 25.04.1972 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से बेचान कर दिया जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के विपरीत है। अतः धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत उक्त भूमि से क्रेता दरबारा सिंह को बेदखल कर कब्जा राज लिये जाने का आदेश पारित किया जावे। न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20.09.1982 एवं 01.07.2011 के द्वारा प्रार्थी तहसीलदार बून्दी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त भूमि को कब्जे राज लिये जाने तथा क्रेता को बेदखल करने का आदेश पारित किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय की पालना में अप्रार्थी बिहारीलाल को पक्षकार बनाया जाकर तहसीलदार तालेड़ा द्वारा दिनांक 06.06.2018 को संशोधित शीर्षक पेश किया। अप्रार्थी बिहारीलाल ने मय अधिवक्ता उपस्थित आकर पत्रावली में जवाब दिनांक 06.07.2018 को पेश किया व साक्ष्य में दस्तावेज व गवाह में स्वयं बिहारीलाल, किशनगोपाल, अशोक मीना व रामेश्वरप्रसाद के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजों पर दिनांक 24.08.2018 को प्रदर्श डलवाये गये व गवाहों के बयान लिये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस प्रार्थी सरकार की ओर से पैरोकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि आराजी ख.सं. 264 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा ग्राम बल्लोप उदा आ0 रामसुख, बाल्या आ0 धूल्या मीना के शामलाती खाते में थी जिन्होंने इस भूमि को दरबारा सिंह एवं जयदेव सिंह सिक्ख को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 25.04.1972 को बेचान कर दिया। विक्रय धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से विवादित आराजी पर धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया गया और कथन किया कि विवादित आराजी को अप्रार्थी द्वारा खातेदारान से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान-खरीद की है और भूमि पर खातेदारान का कब्जा था। जमीन खरीद के साथ ही अप्रार्थी बिहारीलाल का कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजी पर हमेशा अनुसूचित जनजाति वर्ग के खातेदारों का की कब्जा रहा है। इस बात का पुख्ता सबूत यह है कि पटवारी पटवार हल्का बल्लोप व तहसीलदार द्वारा कार्यवाही प्रस्तुत करने के पश्चात् भी कब्जा व वारिसान के आधार पर फौती इंतकाल तस्दीक किये हैं एवं यह भी कथन किया कि इसी आधार पर स्वयं तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी के हक में उक्त आराजी के रजिस्टर्ड बैचान को पंजीकृत किया व पटवारी द्वारा कब्जे व अन्य तथ्यों के बाबत समस्त जानकारी करने के पश्चात् ही नामांतरकरण तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी के नाम तस्दीक किया है


ससे भी अप्रार्थी के कथन की पुष्टि होती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये हैं व न ही कोई दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रमाणित कराया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 04.08.2017 में प्रदत्त निर्देशों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि सरकार द्वारा स्वयं द्वारा प्रस्तुत पटवारी तुलसीराम बैरागी द्वारा दिनांक 09.07.2010 को बयानों में माना है कि विवादित जमीन बिहारीलाल के खाते में है और भूमि पर खातेदारों का ही कब्जा है। इससे प्रकट होता है कि कि सरकार द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में ही साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। जबकि अप्रार्थी द्वारा गवाह बिहारीलाल, किशनगोपाल, अशोक मीना व रामेश्वरप्रसाद के शपथ पत्र व मूल दस्तावेज विक्रय पत्र (प्रदर्श-2), जमाबंदी ग्राम बल्लोप संवत् 2062 से 2065 (प्रदर्श-1) हुए हैं। नामांतरकरण संख्या 574 से अप्रार्थी बिहारीलाल का नाम खातेदार के रूप में दर्ज हुआ है। सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई खण्डनात्मक साक्ष्य व विरोधी तथ्य व दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। इसलिए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज के आधार पर यह साबित होता है कि विवादित आराजी पर अप्रार्थी का ही कब्जा है। इस भूमि को दरबारा सिंह एवं जयदेव सिंह सिक्ख को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 25.04.1972 को बेचान मात्र आभासी प्रतीत होता है जो पूर्व खातेदारों द्वारा केवल उधार रूप्यों के लेन-देन तक ही सीमित रहा हो। क्योंकि प्रार्थी सरकार द्वारा बेचान व उसके पश्चात् कब्जे के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए हैं। फलतः सरकार द्वारा प्रस्तुत कथन को बल नहीं मिलता है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर आर.आर.डी. 1993 पेज 706 में दिये गये निर्णय के तथ्य प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा होते हैं। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य प्रार्थी सरकार दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं कर पाये हैं कि विवादित आराजी पर सवर्ण समाज के किसी व्यक्ति का कभी कब्जा रहा हो वरन् सरकार की ओर से प्रस्तुत गवाह पटवारी तुलसीराम बैरागी ने माना है कि विवादित आराजी पर खातेदारों का ही कब्जा है। अतः प्रार्थी सरकार प्रस्तुत कार्यवाही साबित करने में असफल रहे हैं।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान टीनेंसी एक्ट खारिज की जाती है एवं तहसीलदार तालेड़ा को निर्देश दिये जाते हैं कि विवादित आराजी खसरा संख्या 260 के संपूर्ण रकबा 18 बीघा 8 बिस्वा पर अप्रार्थी बिहारीलाल का नाम खातेदार के रूप में अंकित करे। आदेशानुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(दुर्गा शंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
तालेड़ा
तालेड़ा